राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 69/2014/अलवर
2.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 70/2014/अलवर
3.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 71/2014/अलवर
4.विविध प्रार्थना पत्र संख्या 72/2014/अलवर

मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
बहरोड, अलवर । अपीलार्थी

बनाम्

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान जोन–तृतीय,जयपुर । प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री जे.आर.लोहिया,सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक । प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 19.06.2014

निर्णय

उपरोक्त चारों विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये है, जिनमें राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 541, 542, 543 व 544/2014 जिला अलवर निर्णय दिनांक 31.01.2013 में सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–जोन तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति राशि कमशः ₹17,07,65,100/–, ₹17,32,45,200/–, ₹14,88,82,000/–व ₹3,42,20,800/– की वसूली पर, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, आदेश दिनांक 31.01.2013 की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, 2 माह के लिए रोक लगायी गयी थी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश दिनांक 31.01.2013 के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जमानत प्रस्तुति हेतु दो माह की अवधि बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया था । उक्त प्रार्थना पत्रों पर विचार कर, कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा जरिये आदेश दिनांक 19.05.2014 के जमानत प्रस्तुति हेतु एक माह का समय बढ़ाया गया था।

पुनः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपर्युक्त चार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, जमानत प्रस्तुति हेतु क्षतिपूर्ति बन्धपत्र (Indemnity bond) निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना की गयी है ।

लगातार.....2

चारों विविध प्रार्थना पत्रों में एक ही बिन्दु विवादित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। इस निर्णय की प्रतियॉ पृथक–पृथक पत्रावलियों पर रखी जायें।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी एक रूग्ण ईकाई है जिसकी कार्यशील पूंजी समाप्त हो चुकी है । कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत्, लिमिटेड कम्पनी होने के कारण निदेशक मण्डल भी व्यक्तिगत रूप से विवादित मांग राशि जमा कराने के दायी नहीं है । कम्पनी की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुये वैट अधिनियम के तहत् विहित प्रावधानों की अनुपालना में जमानते प्रस्तुत करने में असमर्थ है । कम्पनी ने अपनी स्थायी परिसमप्तियों को अन्यथा विक्रय नहीं करने संबंधी बंध पत्र दे सकता है। विद्वान अभिभाषक ने कम्पनी की आर्थिक स्थिति को लेकर नितांत आवश्यकता के सिद्धांत (Doctrine of necessity) का आधार लिया है जिसके समर्थन में **माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 9459/2012 Leo Matriculaiton Higher .....Vs The Chair Person के निर्णय दिनांक 08.02.2013** को प्रोद्धरित किया है । उनका कथन है कि यद्यपि विधिक प्रावधानों के तहत् कोई समाधान उपलब्ध नहीं है तथापि आवश्यकता के सिद्धांत के तहत् विधि से बाहर जाकर भी न्यायालय निर्णय दे सकता है ।

अंत में यह भी कथन किया कि वैकल्पिक रूप से अपीलार्थी को जमानतें प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय और स्वीकृत किया जाये ।

प्रार्थी के विद्वान उप–राजकयी अभिभाषक ने कथन किया कि वैट अधिनियम के प्रावधानों के तहत् बकाया वसूली पर रोक बिना जमानतों के स्वीकार नहीं की जा सकती है । स्पष्ट विधिक प्रावधानों के उपलब्ध होने पर आवश्यकता का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता । जबकि प्रकरण में विधिक प्रावधानों के तहत् राज्य सरकार की महत्वपूर्ण राशि वसूली योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने कर व ब्याज का स्थगन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्वीकृत करवाया है जिसमें सरकार की ओर से कथन किया गया था कि अपीलार्थी अपना व्यवसाय अन्य राज्य में स्थानांतरित कर रहा है । राज्य की बकाया राशि की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु जमानतें प्रस्तुत करना नितांत आवश्यक है अन्यथा राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है । अतः प्रस्तुत आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....3

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। हस्तगत प्रकरणों के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दी गयी दलीलों पर विचार किया गया व इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्रीयल एण्ड फाईनेनशियल रीकन्स्ट्रक्शन, 1985 के तहत् स्वयं को बीमार ईकाई घोषित करने संबंधी बिन्दु पर विचार करने के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 77 के अनुसारक्षतिपूर्ति बन्धपत्र (Indemnity bond) प्रस्तुति हेतु कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी अपीलार्थी व्यवहारी फर्म की स्थिति के मद्देनजर पीठ पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की अवधि इस आदेश की प्राप्ति से और एक माह के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विविध प्रार्थना पत्रों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

19.6.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
19/6/14